

५०/अप्र० २०१४-१५

इस्तमाल किया गया है। इसका उपयोग किसी विवाही संस्था के लिए किया जाता है।

वार्ता वार्ता है:-

- (1) मुकाम चाहर निवारी के किसी ओर अतिक्रमण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (2) मुक त/चाहर द्विवारी के आगे पिछे की ओर कम से कम 3 फीट जगह छोड़नी होगी।
- (3) शौचालय शैष्टीक बेन ना होगा।
- (4) लक्ष्मी की स्वीकृति मात्र एक वर्ष की होगी।
- (5) लिमा काद भ कसी प्रकार का रद्दांवल पाने से कार्यालय का निगत आदेश का पालन करना होगा।
- (6) जमीन के विवाद होन पर अधिसूचित फोड़ की जब बदली नहीं होगी।

Premiook kr Satyantri

(T.E) २८/१०/१०

कर्त्ता य. आमिर खान

नगर पंचायत, कोडरमा

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, कोडरमा